



मा० श्री नीतीश कुमार  
मुख्यमंत्री बिहार



डॉ. अब्दुल गफ्फूर  
मंत्री, अ०क०वि०, बिहार

# मार्गनिर्देशिका



## छुरुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षाश्रम्पणयोजना

**बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम**

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34-हार्डिंग रोड, (अली हमाम पथ) हज भवन, पटना-1

**बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम  
से संचालित होने वाली राज्य सम्पोषित  
“मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण” योजना।**

**1. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना :-**

बिहार राज्य में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा (तकनीकी एवं व्यवसायिक) ऋण योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के पाँच समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी) के व्यक्तियों को लाभार्थित करने हेतु संचालित की जायेगी।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शैक्षणिक ऋण योजना में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मेडिकल/तकनीकी/आई.टी.आई./बी.एड./एम.एड./विधि एवं प्रबंधन शिक्षा तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, जो कि पाँच वर्षों की अवधि से अधिक की न हो, में प्रति वर्ष अधिकतम एक लाख रूपये तक की दर से अधिकतम पाँच वर्षों के पाठ्यक्रम के लिए पाँच लाख रूपये तक का ऋण मुहैया कराया जाना है।

**2. योजना की रूप रेखा :-**

- a. राज्य सरकार द्वारा पाँचवर्षीय योजना के तहत योजना मद में प्रत्येक वित्तीय वर्ष 10 करोड़ रूपये की दर से कुल 50 करोड़ रूपये बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जायेगा जो वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में प्राप्त होगा।
- b. राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध करायी गयी राशि से प्रत्येक वर्ष मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना में वितरित किया जाएगा तथा इस योजना में वितरित ऋण राशि की वसूली रकम (मूल धन) का उपयोग पुनः इस योजना में ऋण वितरण करने हेतु Revolving fund के रूप में उपयोग किया जायेगा।

- iii. इस योजना में उपलब्ध निधि के विरुद्ध अर्जित ब्याज, लाभुकों से प्राप्त ब्याज की राशि तथा प्रोसेसिंग चार्ज के मद में प्राप्त राशि का उपयोग प्रशासनिक व्यय, डिलेभरी कॉस्ट, प्रचार प्रसार तथा अन्यान्य व्यय के मद में किया जायेगा।
- iv. इस योजना की निधि रखने के निमित निगम द्वारा अलग से बैंक खाता का संचालन एवं संधारण किया जाएगा।
- v. राज्य सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :
- (क) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव या सचिव - अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत अपर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी
  - (ख) मानव संसाधन विभाग के उप सचिव से अन्यून स्तर के एक प्रतिनिधि - सदस्य
  - (ग) विज्ञान एवं प्रोटोगिकी विभाग के उप सचिव से अन्यून स्तर के एक प्रतिनिधि - सदस्य
  - (घ) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार - सदस्य
  - (ङ) प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम - सदस्य सचिव बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त न्यूनतम दो सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

इस चयन समिति द्वारा लाभांकित होने वाले छात्र/छात्राओं का उनसे प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर चयन किया जाएगा, जिन्हें ऋण की स्वीकृति देने के लिए प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना प्राधिकृत होंगे, जो निदेशक पर्षद से अनुमोदित कराकर स्वीकृति प्रदान करेंगे। निगम द्वारा शैक्षणिक ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से यथासम्भव 45 दिनों के अन्दर ऋण वितरण कर दिया जायेगा।

निगम द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने से सम्बन्धित प्राप्ति रसीद निर्गत किया जायेगा।

### 3. उक्त योजना के लाभांशितों हेतु पात्रता मापदण्ड :

- ❖ आवेदक की आयु 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
- ❖ वैसे छात्र/छात्रा जिन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तकनीकी या व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान में नामांकन हेतु चयनित हो।
- ❖ वैसे छात्र/छात्रा जो बिना प्रतियोगिता परीक्षा के केन्द्र/राज्य सरकार के विश्वविद्यालय या भारत सरकार के मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना के लिए अनुमोदित शिक्षण संस्थानों या ए.आई.सी.टी.ई. (ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन) अथवा राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान में तकनीकी या व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन लेकर अध्ययनरत हो।
- ❖ छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन विहित प्रपत्र में भर कर उसके साथ शिक्षण संस्थान का नामांकन से सम्बन्धित साक्ष्य या अनुशंसा पत्र संलग्न कर समर्पित करना होगा।
- ❖ पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 5 वर्षों की होगी। इसमें डिग्री/डिप्लोमा दोनों पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
- ❖ आवेदकों के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 4.50 लाख रूपये से अधिक न हो।
- ❖ भारत सरकार के मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना या किसी अन्य श्रोत से आर्थिक सहायता प्राप्त किए छात्र/छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- ❖ उक्त योजना में बी.पी.एल. के छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता दिया जायेगा।

#### 4. शैक्षणिक ऋण की स्वीकृति में राशि के निर्धारण हेतु विचारणीय

##### मदः

- ❖ (क) प्रवेश शुल्क, दूर्योग फीस व होस्टल शुल्क - वास्तविक राशि
- (ख) पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित पुस्तकों की  
लागत, स्टेशनरी व अन्य सामान क्रय हेतु - अधिकतम 20 हजार  
रूपये प्रति वर्ष
- (ग) परीक्षा शुल्क - वास्तविक राशि
- (घ) लैप-टौप/डेस्क टौप का क्रय - एक बार अधिकतम  
40 हजार रूपये मात्र

नोट :- उपरोक्त मदों पर आधारित ऋण की कुल देय राशि की अधिकतम सीमा  
एक लाख रूपया प्रतिवर्ष

- ❖ शिक्षा ऋण को स्वीकृत राशि बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक  
ट्रान्सफर द्वारा कराया जायेगा।
- ❖ शिक्षा ऋण की स्वीकृति की सूचना सूची सहित निगम के वेबसाइट  
पर Upload किया जायेगा। साथ ही इसकी सूचना छात्र/छात्रा के  
अभिभावक तथा उनके गारन्टर को दिया जायेगा।

##### ऋण देने की शर्तें :

- ❖ छात्र/छात्रा के पिता/माता/अभिभावक की वार्षिक आय एवं आवासीय से  
सम्बन्धित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डलाधिकारी या प्रखण्ड  
विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, आवेदन  
पत्र के साथ मूल में समर्पित करना होगा। मुस्लिम को छोड़ कर अन्य  
अल्पसंख्यको हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी  
संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत हो।
- ❖ कॉलेज/शिक्षण संस्थान द्वारा दिये गये बिल/शुल्क संरचना के अनुसार  
कॉलेज/संस्थान को हॉस्टल, प्रवेश शुल्क दूर्योग शुल्क, परीक्षा शुल्क  
इत्यादि की राशि का शिक्षण संस्थान के नाम का चेक/बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित  
छात्र/छात्रा को उपलब्ध कराया जायेगा या बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक

ट्रांसफर कराया जायेगा।

- ❖ पुस्तक, स्टेशनरी एवं लैप-टॉप/डेस्क टॉप इत्यादि का क्रय के लिए आवेदक का नाम का चेक/बैंक ड्राफ्ट सीधे सम्बन्धित छात्र/छात्रा को उपलब्ध कराया जायेगा।
- ❖ सम्बन्धित कॉलेज/शिक्षण संस्थान की पद्धति के अनुसार ऋण सेमेस्टर/सत्र के आधार पर किस्तों में दिया जायेगा। सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा पिछले सेमेस्टर/सत्र को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अगले किस्त का भुगतान किया जायेगा। संस्थान के प्रमुख से इस संदर्भ में प्रमाण पत्र या छात्र से अंक पत्र प्राप्त किया जायेगा।
- v) आवेदक को इस आशय का एक शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नौकरी बदली किये जाने पर निगम को तदनुसार सूचित करेंगे।

#### ब्याज दर :-

- ❖ इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा 4% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण राशि मुहैया कराया जायेगा तथा छात्र/छात्रा के पाठ्यक्रम अवधि को स्थगन अवधि (Moratorium Period) माना जायेगा और इस Moratorium Period को ब्याज मुक्त रखा जायेगा।
- ❖ इस योजना के निमित चयनित आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करने के समय निगम द्वारा प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में स्वीकृत राशि का 0.5% (न्यूनतम 250/- रूपये तथा अधिकत 500/- रूपये) लिया जायेगा।

#### 7) दण्ड ब्याज :-

- ❖ लाभुकों द्वारा प्रत्येक वर्ष के देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात उनसे निगम द्वारा देय किस्तों की राशि पर दण्ड ब्याज के रूप में अतिरिक्त 5% वसूली किया जायेगा।

### 8 ) ऋण की वापसी :-

- i) पार्यक्रम की समाप्ति के 6 माह बाद या उसके पूर्व नियोजित हो जाने पर ऋण लेने वाले लाभार्थी को मूल धन व ब्याज अधिक से अधिक 60 समान मासिक किस्तों में वापस करना होगा।
- ii) यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश अध्ययन जारी नहीं रखता है तो निगम से लिये गये ऋण की राशि ब्याज सहित एक मुश्त लौटाना होगा तथा उन्हें Moratorium Period का लाभ नहीं मिलेगा।

### 9 ) गारन्टर/एकरारनामा :-

- i) कुल अवधि के लिए चार लाख रूपया तक की राशि के ऋण के लिए कोई सेक्यूरिटी नहीं ली जाएगी। उससे अधिक की राशि के ऋण के लिए समुचित राशि की कोलेटरल सेक्यूरिटी अथवा माता-पिता/ अभिभावक/ तृतीय पक्ष को सह-ऋणि (Co-borrower) बनाया जाएगा साथ ही छात्र के भविष्य में होने वाली आय को किस्त के रूप में भुगतान हेतु सुरक्षित किया जाएगा।
- ii) ऋण वापसी के लिए लाभार्थी अर्थात् छात्र जिसने ऋण लिया है उससे किसी भी बैंक (सहकारी एवं क्षेत्रीय बैंक को छोड़कर) कम से कम 10 अधिकतम 20 उत्तरदिनांकित चेक लिया जाना है।

زیادہ سے زیادہ = 500 لیا جائے گا۔

7. جرمانہ سود

قرض یافتہ کے ذریعہ ہر سال قابل ادائیتوں کی ادائیگی وقت مقررہ پر نہیں کئے جانے پر سال ختم ہونے کے بعد بقایہ قسط پر جرمانہ سود کے طور پر 15% اضافی وصول کیا جائے گا۔

#### 8. قرض کی واپسی:

i. نصاب کی تکمیل کے 6 ماہ بعد اس کے قبل نوکری میں جانے پر قرض یافتہ کو زیادہ سے زیادہ 60 برابر ماہوار قسطوں میں قرض واپس کرنا ہو گا۔

ii. اگر قرض یافتہ کسی سبب اپنی تعلیم جاری نہیں رکھتا ہے تو کار پوریشن سے لئے گئے قرض کی رقم سود سمیت یکمیش لوتانا ہو گا اور انہیں moratorium period کا فائزہ بھی نہیں ملے گا۔

#### 9. گارنٹر راقر ارٹنامہ:

i. کل مدت کیلئے چار لاکھ روپیہ تک کی رقم کے قرض کے لئے کوئی سیکوریٹی نہیں لی جائے گی۔ اس سے زیادہ رقم کے قرض کے لئے مناسب رقم کی کویی شرط سیکوریٹی یا مال بآپ رگارجین رکھڑا پارٹی کو مشترکہ قرض خواہ بنایا جائے گا اور طالب علم کی مستقبل میں ہونے والی آمدی کو قسط کے طور پر حفظ کیا جائے گا۔

ii. قرض کی واپسی کے لئے قرض یافتہ یعنی طالب علم جس نے قرض لیا ہے اس سے کسی بھی پینک (کو آپریٹو اور علاقائی پینک کو چھوڑ کر) کم از کم 10 زیادہ سے زیادہ 20 پوسٹ ٹیلڈ چک لیا جائے گا۔

اقیت کو ان کے مذہب سے متعلق سرٹیفیکٹ اپنے مذہبی پیشوں سے لے کر جمع کرنا ہوگا۔

ii. کالج تعلیم ادارہ کی جانب سے دئے گئے بل فیس اسٹرکچر کے مطابق کالج رادارہ کو ہاشم، داخلہ فیس، ٹیوشن فیس، امتحان فیس، وغیرہ کی رقم تعلیمی ادارہ کے نام سے چک رڑ رافت متعلقہ طالب علم / طالبہ کو دیا جائے گا یا بینک کی مدد سے الکٹرانیک ٹرانسفر کرایا جائے گا۔

iii. کتاب اسٹیشنری اور لیپ ٹاپ روڈسک ٹاپ وغیرہ کی خریداری کے لئے درخواست دہنہ کو چک ربنک ڈرافٹ برآہ راست طالب علم / طالبہ کو دیا جائے گا۔  
iv. متعلقہ کالج تعلیمی ادارہ کے طریقے کے مطابق قرض سمسٹریسیشن کی بنیاد پر قسطوں میں دیا جائے گا۔ متعلقہ طالب علم / طالبہ کے ذریعہ پچھلے سمسٹریسیشن کو کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کے بعد اگلی قسط کی ادائیگی کی جائے گی۔ ادارہ کے سر برآہ سے اس سلسلے میں سرٹیفیکٹ یا طالب علم سے مارک شیٹ لیا جائے گا۔

v. درخواست دہنہ کو یہ حلف دینا ہوگا کہ ان کے ذریعہ نوکری بدلتے جان کی صورت میں وہ کار پوریشن کو اس کی اطلاع دیں گے۔

سودی کی شرح:

اس منصوبہ کے تحت کار پوریشن کے ذریعہ 4% سالانہ شرح سود پر  
vi. درخواست دہنہ کو قرض مہیا کرایا جائے گا اور طالب علم / طالبہ کی مدت تعلیم moratorium Period کے لئے سود نہیں لیا جائے گا۔

ii. اس منصوبہ کے تحت درخواستوں کی منظوری کے وقت کار پوریشن کے ذریعہ پروسنگ چارج کے طور پر منظور شدہ رقم کا 0.5% (کم از کم = 250 روپیہ اور

vii. حکومت ہند کی میراث کم فیس اسکیم اسکارشپ یا کسی دوسرے ذرائع سے امداد حاصل کرنے والی طلباء اس کے اہل نہ ہوں گے۔

viii. مذکورہ منصوبہ میں بی پی ایل طلباء طالبات کو ترجیح دی جائے گی۔

4. تعلیمی قرض کی منظوری میں رقم کے تعین سے متعلق اہم نکات:

1. (الف) داخلہ فیس، ٹیوشن فیس ہائل فیس ..... حقیقی رقم

(ب) کورس کے لئے ضروری کتابیں، اسٹیزرنی اور دوسرا چیزیں ..... زیادہ سے زیادہ خریدنے کے لئے - 20 ہزار روپیہ سالانہ

(ج) امتحان فیس حقیقی رقم

(د) لیپ ٹاپ ڈسک ٹاپ خریدنے کے لئے ایک بار زیادہ سے زیادہ 40 ہزار روپیہ

نوٹ: مذکورہ بالامدوں پر قرض کی کل قابل ادار قرم کی زیادہ سے زیادہ حد ایک لاکھ روپیہ سالانہ

ii. تعلیمی قرض کی منظوری شدہ رقم پینک کے توسط سے الکٹر انک ٹرانسفر کے ذریعہ کیا جائے گا۔

iii. تعلیمی قرض کی منظوری کی اطلاع فہرست سمیت کارپوریشن کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی اس کی اطلاع طلباء طالبات کے گارجین اور ان کے گارمنٹر کو دیا جائے گا۔

قرض دینے کی شرطیں:

1. طلباء طالبہ کے ماں رباپ رگارجین کی سالانہ آمدنی اور رہائش سے متعلق سڑیفکٹ ایل آفیسر یعنی سبڈ ویزٹ افسر، یا بلاک ترقیاتی آفیسر یا سرکل آفیسر کا جاری کردہ ہو۔ درخواست کے ساتھ اور بھنل داخل کرنا ہوگا۔ مسلم کو چھوڑ کر دیگر

اقیقیت مالیاتی کار پوریشن پٹنے مجاز ہوں گے۔ جو بورڈ آف ڈائرکٹس سے منظور کرو اکر منظور یدیں گے۔

کار پوریشن کے ذریعہ تعلیمی قرض کی منظوری کے لئے درخواست حاصل کرنے کی آخری تاریخ کے بعد 45 دنوں کے اندر اندر قرض تقسیم کر دیا جائے گا۔

vii. کار پوریشن کی جانب سے قرض کے حصول کی درخواست جمع ہونے کی رسید جاری کی جائے گی۔

3. مذکورہ مخصوصہ سے فائیڈہ اٹھانے کے ضوابط:

i. درخواست دہنڈہ کی عمر 16 سال سے کم نہیں ہونی چاہئے۔

ii. ویسے طلبا ر طالبات جنہوں نے مقابلہ جاتی امتحانات کے بعد منظور شدہ کالج، ادارہ میں داخلہ حاصل کیا ہو۔

iii. ویسے طلبا ر طالبات جو بغیر مقابلہ جاتی امتحان کے مرکزی ریاستی حکومت کی یونیورسٹی یا حکومت ہند کے میراث کم فیس اسکالر شپ کے لئے منظور شدہ تعلیمی اداروں اے آئی سی ٹی ای (آل انڈیا کونسل آف ٹکنیکل ایجوکیشن) یا ریاستی حکومت مرکزی حکومت سے منظور شدہ کالج ر اداروں میں ٹکنیکل یا ویکٹشنل کورسز میں داخلہ لے کر پڑھ رہے ہوں۔

viii. طلبا ر طالبات کے ذریعہ منظور شدہ پرفارما میں درخواست بھر کر اس کے ساتھ تعلیمی ادارہ میں داخلہ سے متعلق شواہد اور سفارش جمع کرنا ہوگا۔

v. طالب علم ر طالبہ کی جانب سے طے شدہ پرفارما میں درخواست بھر کر اس کے ساتھ تعلیمی ادارہ میں داخلہ سے متعلق شواہد یا ریکمنڈیشن لیٹر شامل کر کے جمع کرنا ہوگا

vii. درخواست دہنڈگان کے والد ر گار جین کی سالانہ آمدی 5.4 لاکھ روپیہ سے زیادہ نہ ہو۔

ii. ریاستی حکومت کی جانب سے کارپوریشن کو مہیا کرائے گئے فنڈ میں سے ہر سال وزیر اعلیٰ اقلیتی روزگار قرض منصوبہ کے تحت قرض تقسیم کیا جائے گا۔ اس منصوبہ کے تحت تقسیم کی گئی رقم کی وصولی رقم (خالص رقم) کا استعمال پھر اس منصوبہ کے تحت قرض فراہم کرنے کے لئے Revolving Fund کے طور پر کیا جائے گا۔

iii. اس منصوبہ میں فراہم شدہ فنڈ پر حاصل شدہ سود، قرض یا فتنگان سے ملنے والا سود اور پروسینگ کے زمرے میں حاصل رقم کا استعمال انتظامی اخراجات، ڈیلوری کا سٹ اور دیگر اخراجات کے لئے کیا جائے گا۔

(iv) اس منصوبہ کے نام سے بینک میں علیحدہ اکاؤنٹ ہوگا اور تمام کام اسی اکاؤنٹ سے ہونگے۔

(v) مستقیض کے انتخاب کے لئے ریاستی حکومت کے ذریعہ ایک سلکشن کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں مندرجہ ذیل ارکان ہوں گے۔

(الف) محکمہ اقلیتی فلاں کے سکریٹری یا سکریٹری کی جانب سے نامزد ایڈیشنل سکریٹری عہدہ کے افسر صدر

(ب) محکمہ فروع انسانی وسائل کے ڈپٹی سکریٹری کے متوازی درجہ کے افسر: رکن

(ج) محکمہ سائنس و تکنالوجی کے ڈپٹی سکریٹری، ” ” ” ” رکن

(د) محکمہ اقلیتی فلاں کے داخلی مالی مشیر رکن

(ح) مینچنگ ڈائرکٹر، بھارتی ریاستی تعلیمی مالیاتی کارپوریشن۔ رکن سکریٹری مینچنگ میں صدر کے علاوہ کم از کم دوارکان کی شمولیت لازمی ہوگی۔

سلکشن کمیٹی استفادہ کرنے والے طباء طالبات کا ان کی جانب سے موصولہ درخواست کی بنیاد پر کرے گی جنہیں قرض کی رقم دینے کے لئے مینچنگ ڈائرکٹر

# بہار ریاستی اقلیتی مالیاتی کار پوریشن کے توسط سے چلنے والا ریاستی حکومت کا امداد یافتہ "وزیر اعلیٰ اقلیتی تعلیمی قرض منصوبہ"

## 1. وزیر اعلیٰ اقلیتی تعلیمی قرض منصوبہ:

بہار میں ریاستی حکومت کا امداد یافتہ وزیر اعلیٰ اقلیتی (مکنیکی اور دوکیشن) تعلیمی قرض منصوبہ قومی اقلیتی کمیشن آرڈننس 1992 کے تحت مرکزی حکومت کی جانب سے اعلان شدہ اقلیتی طبقے کے پانچ فرقوں (مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ اور پارسی) کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے شروع کیا جائے گا۔

وزیر اعلیٰ اقلیتی تعلیمی قرض منصوبہ میں منظور شدہ تعلیمی اداروں میں میدیا یکل (مکنیکی رآئی ٹھی آئی، بی ایڈ رایم ایڈ، قانون اور تجسس اور دوکیشن کورسز کے لئے جو پانچ سال کی مدت سے زیادہ کامنے ہو کے لئے زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ روپیہ سالانہ کے حساب سے پانچ سال کے کورس کے لئے پانچ لاکھ روپیہ تک قرض مہیا کرایا جانا ہے۔

## 2. منصوبہ نفاذ کا خاکہ:

a. منصوبہ کے نفاذ کے لئے ریاستی حکومت کی جانب سے منصوبہ جاتی فنڈ میں ہر ماں سال میں 10 کروڑ روپے کے حساب سے کل 50 کروڑ روپے کی رقم کارپس فنڈ (حتہ پونچی) کے طور پر بہار ریاستی اقلیتی مالیاتی کار پوریشن کو مہیا کرایا جائے گا جو ماں سال 2012-13 سے 2016-17 تک کی مدت میں مہیا کر دیا جائے